



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-ओमेगा, पी-2, ग्रेटर नोएडा सिटी- 201308

पत्रांक-वाई.ई.ए./नियोजन/BP-48/301

दिनांक

04/09/2015

सेवा में,

मैसर्स एमेराल्ड प्रोमोटर्स प्रा0 लि0

सी-8/1ए, द्वितीय तल, वसन्त विहार,

नई दिल्ली- 110057

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक-13/08/2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें आपके द्वारा भूखण्ड संख्या जी.एच-01, टी.एस-06, सैक्टर-22डी, (क्षेत्रफल-37812.34 वर्ग मीटर) यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के लिये भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत मानचित्रों की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ दी गयी है:-

1. यह मानचित्र दिनांक-20/03/2019 तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिकाएँ) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमत्य नहीं होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
4. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
5. यदि भविष्य में विकास कार्य अथवा अन्य कोई व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
6. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी अन्य भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति मानचित्रों के स्पेसिफिकेशन यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र की भवन विनियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा।
9. आवंटी तलों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करायेगा।
10. सड़क पर अथवा सर्विस लेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे।
11. आवंटी जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र दिनांक-20/03/2019 की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को उप पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिमोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

14. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रामाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।
15. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
16. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14/09/06 में निहित प्राविधानों एवं समय-समय पर संशोधनों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं यमुना एक्सप्रेसवे भवनविनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग आदि विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. शारिरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
19. इस पत्र की स्वीकृति वर्तमान में केवल 30 मीटर भवन की ऊँचाई तक है। एयरपोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र नियोजन विभाग में प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसके आधार पर पूर्व में स्वीकृत पत्र एवं मानचित्र पर लिखित टिप्पणी को निरस्त करते हुए मानचित्र निर्गत किया जायेगा तथा संशोधित स्वीकृत पत्र जारी किया जायेगा। इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा मानचित्र की वैधता पूर्व में निर्गत तिथि से मान्य रहेगी।
20. सैक्टर-25 के भू-विन्यास मानचित्र हेतु स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
21. यदि आवश्यकता हो तो हेरिटेज स्थलों एवं प्राचिन स्मारकों को संरक्षित किये जाने के लिये Ancient monuments, Archaeological sites and remains (Amendment & Validation) Act, 2010 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
22. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
23. परियोजना विभाग के पत्रांक-वरि.प्र(परि)/वर्क सर्किल-2/2015/182 दिनांक- 17/08/2015 के अनुसार सभी सर्विस का लेवल पूर्व में प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या टी.एस-6 हेतु सत्यापित सर्विस के अनुसार रखा जाना सुनिश्चित करना होगा (प्रतिलिपि संलग्न)।
24. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा वर्तमान तथा भविष्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
25. आवंटी द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर functional करना होगा।
26. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवंटी स्वयं लेंगे।
27. एन0जी0टी द्वारा दिये गये निर्देशों/निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक- स्वीकृत मानचित्रों की प्रतियाँ।

(मीना भार्गव)

महाप्रबन्धक-नियोजन

प्रतिलिपि-

1. निजी सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महाप्रबन्धक-नियोजन